कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा/हिनि/विवाह/28129/2019–20/ दिनांक :– 25/6/2021

समस्त संयुक्त निदेशक,
समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा)
समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) (माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा)
समस्त प्राचार्य डाईट,
समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षायें।

विषय :– बालिका उपहार योजना के लिये आवेदन पत्र बाबत्

संदर्भः– समसंख्यक पत्रांक दिनाक 04.11.2019, 25.11.2019, 27.11.2019 व 07.01.2020

उपर्युक्त विषय मे लेख है कि बालिका विवाह उपहार योजना के सम्बन्ध में संदर्भित पत्रों द्वारा समय–समय पर दिशा निर्देश जारी किये गये है लेकिन पाया गया कि ना तो संबंधिक कार्मिक और ना ही आहरण वितरण अधिकारी द्वारा बिना निर्देशों की जांच किये प्रार्थना पत्र अपूर्ण भेजे जा रहे है, जिसके कारण आवेदन पत्र लम्बित रहते है जो उचित नही है। अतः आवेदक एवं अग्रेषण अधिकारी इनका अध्ययन/जांच उपरान्त ही प्रार्थना पत्र प्रेषित करें। इसके अभाव में यदि प्रार्थना पत्र निरस्त या लम्बित रहता है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी उनकी स्वयं की होगी, इस पत्र के सम्बन्ध में अपने अधिनस्थों को आवश्यक रूप से जानकारी प्रदान करें।

आवेदन पत्र भरते समय कार्मिक एवं अग्रेषण अधिकारी निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रख कर ही अग्रेषित करे :–

1. योजना का लाभ 2018–2019 से हितकारी निधि के नियमित अंशदाता को ही देय होगा, अतः प्रार्थना पत्र के साथ 2018–19, 2019–20, 2020–21 एवं आवेदन के सत्र तक ई.सी.एस./शिड्यूल संलग्न किये जावें।
2. जिन कार्मिकों का वेतन सी.बी.ई.ओ. द्वारा पी.डी. मद से आहरण किया जाता है, उन प्रकरणों में सी.बी.ई.ओ. कार्यालय का ही ई.सी.एस./शिड्यूल प्रति संलग्न करें।
3. योजना का लाभ कार्मिक को सेवाकाल में एक बार ही देय है।
4. बालिका के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा आयोजित कक्षा X के प्रमाण–पत्र की प्रति या आयु सम्बन्धी प्रमाण की प्रति।
5. बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की स्पष्ट/सूपाठय प्रति अथवा निरस्त चैंक संलग्न करें।
6. प्रार्थना पत्र के साथ विवाह हेतु मुद्रित मूल कार्ड संलग्न करें।

7. विवाह की तिथि से पूर्व कोई आवेदन प्रेषित नही किया जावें, नियमानुसार विवाह होने की तिथि से दो माह के भीतर–भीतर ही आवेदन किया जावें।
8. उपहार योजना की राशि कार्मिक के बैंक खाते मे सीधे ही ई.सी.एस.के जरियें की जावेगी।

उपरोक्त निर्देशों की पालना आवश्यक रूप से की जावें।

24/6/21

(पितराम सिंह)
उप निदेशक (प्रशासन)
एवं सचिव हितकारी निधि
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

<u>प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–</u>

1. निदेशक, समग्र शिक्षा, स्कूल शिक्षा विभाग, शिक्षा संकुल जयपुर।
2. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्, जयपुर।
3. निदेशक प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
4. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर।
5. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान, बीकानेर/अजमेर।
6. प्रधानाचार्य, सार्दुल स्पोटर्स स्कूल, बीकानेर।
7. संपादक शिविरा पत्रिका।
8. संयुक्त निदेशक कम्प्यूटर (कार्यालय हाजा) को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेब–साईट एवं शालादर्पण/शालादर्शन पर अपलोड करने बाबत्।

24/6/21

(पितराम सिंह)
उप निदेशक (प्रशासन)
एवं सचिव हितकारी निधि
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर